मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान अविचल चतुर्वेदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'अगले माह सवा लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की जायेगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के काम की समीक्षा की

■ **मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सर्वे करा कर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करें तथा राज्य के सरकारी व निजी विद्यालयों के ड्रैस कोड में एकरूपता लाई जाये।**

जयपुर, 25 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही, खाली पदों पर भर्ती तथा स्कूलों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले, इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग साढ़े 3 करोड़ पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है तथा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1 लाख 25 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतरीन करने हेतु सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 18 हजार पदों पर पदोन्नित की गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कक्षा कक्षों तथा बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नव निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा, कृष्ण कुणाल ने मुख्यमंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 1.34 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

इस अवसर पर, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, अविचल चतुर्वेदी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस्तीफा प्रकरण : धारीवाल, महेश जोशी सहित 6 को हाईकोर्ट का नोटिस

भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका में 6 नेताओं से 4 सप्ताह में जवाब मांगा

■ **25 दिसम्बर 2022 को 81 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे। अध्यक्ष ने लम्बे समय तक इस पर निर्णय नहीं लिया। पिछली सुनवाई पर स्पीकर की ओर से जवाब आया कि इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए अस्वीकार कर दिये। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि किसके दबाव में इस्तीफे दिये गये।**

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन 81 विधायकों द्वारा इस्तीफा देने से जुड़े मामले में, अपने और 75 विधायकों के इस्तीफे की कॉपी स्पीकर को सौंपने वाले तत्कालीन छह विधायकों, शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढ़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अदालत ने इन तत्कालीन विधायकों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस, एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने गत सुनवाई को इन तत्कालीन 6 विधायकों को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

याचिका में कहा गया कि 81 विधायकों ने 25 सितंबर, 2022 को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कई बार स्पीकर को प्रतिवेदन देकर इस्तीफों पर निर्णय करने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद इन 81 विधायकों ने वेतन भत्तों के तौर पर करीब 18 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। ऐसे में इस बिन्दु पर उचित आदेश दिए जाएं। इसके अलावा स्पीकर के समक्ष लंबित इस्तीफों के संबंध में निर्णय करने की अधिकतम समय सीमा तय की जाए।

अधिवक्ता हेमन्त नाहटा ने बताया कि इन छह तत्कालीन विधायकों को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र इसलिए दायर किया था, ताकि पता चल सके कि कांग्रेस के 81 विधायकों ने किसके दबाव में विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे थे।

दरअसल इस मामले में पिछली सुनवाई पर मौजूदा स्पीकर का जवाब आया था, जिसमें कहा गया था कि इस्तीफों को स्पीकर ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि विधायकों ने अपने इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं दिए थे और कई विधायकों ने अपने इस्तीफे, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर, नहीं देने की बात की थी।

झारखंड की नई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। इन 71 करोड़पतियों में से 28 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा, (जे.एम.एम.), 20 भाजपा, 14 कांग्रेस, 4 आर.जे.डी., 2 सी.पी.आई. एम.एल. लिबरेशन और एक-एक एल. जे.पी. (राम विलास), जय (यू.) तथा ए.जे.एस.यू. के है। हाल में संपन्न हुए चुनावों में जे.एम.एम. को 34 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि, कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। वहीं, आर.जे.डी. ने चार और सी.पी.आई.एम.एल. लिबरेशन ने दो सीटे जीती है।

दूसरी तरफ भाजपा को 21 विधानसभा सीटों पर तथा उसकी पार्टनर एल.जे.पी. (पासवान), जय (यू) और ए.जे.एस.यू. पार्टी को एक-एक सीट पर जीत मिली। झारखंड विधानसभा 2024 में प्रति विजेता प्रत्याशी औसत संपत्ति 6.90 करोड़ है। सन् 2019 के चुनावों में यही औसत 3.82 करोड़ था।

अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को "आधारहीन" बताया है। अडानी मुद्दे को लेकर हो रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई।

संभल : सपा सांसद और विधायक पुत्र के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक, सभी स्कूल बंद किये

■ **सपा सांसद जिया उर रहमान तथा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश करने, दंगा भड़काने व भीड़ इकट्ठी करने के आरोप हैं।**

संभल, 25 नवंबर। जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इलाके में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज की है। एफ.आई.आर. में सपा सांसद जिया उर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है।

रविवार को जिले में हुए बवाल के बाद संभल कोतवाली में दंगे को लेकर दर्ज की गई एफ.आई.आर. में सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इक्कठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के हाथ दंगा भड़काने वाले कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक सात एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इन सभी में कुल मिलाकर 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल के एस.पी. कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, "हमारे सब-इंस्पेक्टर दीपक राठी, जो कल घायल हुए थे, उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिया उर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने भीड़ को उकसाया था।" उन्होंने बताया कि बर्क को पहले भी नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने लोगों को भड़काया, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बर्क को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संभल में बवाल के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस के तहत एक दिसंबर तक बहारी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक है। प्रशासन ने अतिसंवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है।

'आरोप अडानी पर है, और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों, जिनमें अन्य राज्यों से आये लोग भी शामिल थे, ने भाग लिया। ये लोग अडानी के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियाँ हाथों में उठाये हुये थे।

अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स ने सागर अडानी पर आरोप लगाते हुये कहा कि उन्होंने कथत रूप से करोड़ों डालर की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी। इन नोटों को प्रॉसिक्यूटर्स ने "रिश्वत के नोट" बताया है।

इस कथित रिश्वत-कांड पर अमेरिकन अधिकारियों का ध्यान उस समय गया, जब अडानी की कम्पनी 2021 में शुरू हुये इस लेन-देन से सम्बन्धित पैसों की उगाही अमेरिकन निवेशकों से कर रही थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि रिश्वत के इस अभियोग की शाखें पूरी दुनिया में फैल गई हैं। ऐसी खबरें है कि कुछ बैंकर इस ग्रुप को नया उधार देना फिलहाल रोक देने पर विचार कर रहे हैं।

कीनिया ने 2.5 अरब डॉलर के अडानी इन्फ्रास्ट्रक्चर के सौदे रद्द करने के आदेश दे दिये हैं। एक अमेरिकन डवलपमेन्ट एजेंसी श्रीलंका के एक अडानी पोर्ट प्रोजेक्ट का पुनः आकलन कर रही है, जिसे वित्तीय सहयोग देने के लिये पहले सहमति दे दी गई थी।

बाँग्लादेश में, एक सरकारी पैनल ने बिजली के सौदों, जिनमें एक सौदा अडानी से भी किया गया है, की जाँच के लिये कानूनी सहायता माँगी है।

असली सवाल है कि अब अडानी पर आगे क्या होगा? उन पर विदेशी रिश्वतखोरी, सिक्यूरिटीज फ्रॉड, सिक्यूरिटी फ्रॉड षडयन्त्र तथा बायर फ्रॉड षडयन्त्र के आरोप हैं।

उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा वे कहाँ है, यह ज्ञात नहीं है। हालाँकि, माना जा रहा है कि वे भारत में ही हैं।

अगर उनका प्रत्यार्पण होता है, या वे अमेरिका में सरेन्डर करते हैं, तो भी ट्रायल में काफी समय लगना है।

अगर अडानी पर अभियोग साबित हो जाता है तो उन्हें दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है तथा उन पर जुर्माने भी हो सकते हैं।

हालाँकि, किसी प्रकार सजा दिया जाना अन्ततः केस की सुनवाई करने वाले जज पर निर्भर है।

अमेरिकन अदालत के एक निर्देश के अनुसार, फिलहाल अडानी को अमेरिकन मार्केट्स के रेग्यूलेटर के आरोपों का जवाब 21 दिन के अन्दर देना है।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी, बिना सोचे समझे और विभिन्न समूहों व हितों को "बैलेंस" किए बिना बड़ी बेतरतीबी से नियुक्तियाँ कर रही है।

लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की यही कहानी है। राहुल गांधी अपनी पार्टी में राजनीति को सूक्ष्म तरीके से नहीं देखते हैं और उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है।

यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी निरीह से नज़र आते हैं, क्योंकि वे काफी समय से वेणुगोपाल और जयराम रमेश को हटाना चाहते पर कर नहीं पा रहे हैं।

खुली जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले कैदियों का भी पुनर्वास करना होगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि खुली जेल को आवंटित की गई जमीन को कम नहीं किया जा रहा है। खुली जेल का कुल क्षेत्रफल 61,160 वर्ग मीटर है। इसमें से 17,800 वर्ग मीटर जमीन पर निर्माण है।

वहीं, खुली जेल के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से 14,940 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करना प्रस्तावित है, जबकि 22,000 वर्ग मीटर जमीन पर ही सेटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा।

वहीं, हॉस्पिटल निर्माण के दौरान कैदियों का पुनर्वास किया जाएगा। मौजूदा समय में खुली जेल में 410 कैदी रह रहे हैं।

दरअसल अवमानना याचिका में कहा था कि खंडपीठ ने 17 मई 2024 को आदेश जारी कर, राज्य सरकार को खुली जेल की जमीन को कम नहीं करने और छह दशक से खुली जेल के लिए काम आने वाली इस जमीन को संरक्षित करने के लिए कहा था, लेकिन जेडीए ने 30 जुलाई 2024 को इस जमीन पर सेटेलाइट हॉस्पिटल का आवंटन मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार व जेडीए का ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

15 साल राज किया, पर 15 सीटों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लें या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें, जो स्वतंत्र एवं सक्षम हो। मल्लिकार्जुन खड़गे निश्चित रूप से इस पद को सँभाल नहीं सके हैं, और उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा, तो यह स्पष्ट है कि बैक सीट ड्राइविंग आगे न तो काम कर सकती है और न करेगी।

2019 से लेकर अब तक, कांग्रेस ने बहुत सारे चुनाव हारे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई तथा न ऐसी नई प्रतिमाओं को आगे लाया गया, जो पार्टी को ताकतवर बना सकें।

पिछले पाँच साल का रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार है-

2019 - लोक सभा हारे,
2019 - आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश तथा हरियाणा हारे
2020 - दिल्ली और बिहार हारे
2021 - असम, केरल तथा पश्चिम बंगाल हारे
2022 - गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर हारे
2023 - राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हारे
2024 - लोकसभा चुनाव, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हारे

इन हारों के लिये क्या कोई जिम्मेदार ठहराया गया? अब तक इन पराजयों की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कोई आत्म-निरीक्षण नहीं किया गया, कोई विश्लेषण नहीं किया गया।

एक हार के बाद, पार्टी दूसरी हार की ओर बढ़ जाती है।

दो से ज्यादा संतान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी कर दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित सालों से पदोन्नत करने का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गत अगस्त माह में अंतरिम आदेश जारी कर पदोन्नतियों पर रोक लगा दी थी, जबकि अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को पूर्व में दी गई पदोन्नति इस अधिसूचना से प्रभावित नहीं हो रही है। इसलिए पूर्व में दिए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पूर्व में दिए आदेश को संशोधित करते हुए तथा पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटाते हुए उसे याचिका के निर्णयाधीन रखा है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक जून 2002 या इसके बाद दो से ज्यादा संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को तीन व पांच अवसरों तक पदोन्नित से वंचित रख रखा था। वहीं, कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को एक अधिसूचना निकाल कर कहा कि किसी भी कर्मचारी को केवल ज्यादा संतान होने के चलते पदोन्नित से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिन कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया है, उन्हें उनके पदोन्नति वर्ष से ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पिछली तारीखों से किसी भी कर्मचारी की योग्यता के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। वहीं, इस अधिसूचना के जरिए वो कर्मचारी पदोन्नत होंगे।

नीट यूजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था, जबकि एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को अगस्त माह में ही इसकी जानकारी थी कि काउंसलिंग में वह प्रमाण पत्र पेश करना है, जिसमें कक्षा 11वीं में बायोलॉजी विषय होने की जानकारी हो। वहीं, तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकलपीठ में याचिका दायर की गई, जबकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया था।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908